<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 04/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी, छबड़ा **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री देवराज जाटव पुत्र श्री भागचंद जाटव निवासी एवं उ.मू.दु. वार्ड नं. 6 छबड़ा तहसील छबड़ा
2. श्री रमेशचन्द गौतम पुत्र श्री मोहनलाल गोतम निवासी वार्ड नं. 2 छबड़ा मालिक गल्ला की दुकान, ईदगाह चौराहा, छीपाबड़ौद कुम्भराज रोड़, छबड़ा
3. श्री अकिल अहमद पुत्र श्री शमीउल्ला खान निवासी वार्ड नं. 19 छबड़ा, मालिक, पिकअप गाड़ी नं. एमपी 20 जी.ए. 7029
4. मो. शकूर पुत्र मो. मियां निवासी वार्ड नं. 20 छबड़ा ड्राईवर पिकअप गाड़ी नं. एमपी 20 जी.ए. 7029 **(अप्रार्थीगण)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत</u>

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 1)**

3. श्री हजारीलाल भार्गव अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 2)**

4. श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 3 व 4)**

<u>निर्णय दिनांक– 05.05.2022</u>

1– प्रार्थी श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी, छीपाबड़ौद/बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 01.11.2013 को उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के दूरभाषिक निर्देश पर 4 पी.एम. पर छबड़ा थाना पहुंचा जहां पिकअप गाड़ी नंबर एम.पी.20 जी.ए. 7029 खड़ी मिली जिसमें हाथ की सिलाई के एफ.सी.आई. मार्का वाले गेंहू के 26 कट्टे लदान किये हुए मिले। उक्त गाड़ी के निरीक्षण/अवलोकन के बाद [illegible]हसीलदार छबड़ा श्री रामकल्याण यादवेन्द्र से मिला जिन्होने बताया कि आज दिनांक 01.1[illegible]013 को श्री हरिओम गौड़ की शिकायत पर वो ईदगाह चौराहा स्थि[illegible] वाले गल्ला व्यापारी रमेशचन्द गौतम की दुकान के पास [illegible] गाड़ी नंबर एम.पी. 2[illegible]. 7029 से सरकारी गेंहू को बेचते हुए पकड़ा गया। बाहरी द[illegible]जा के अन्दर वाले ग[illegible] उक्त पिकअप गाड़ी में 25–26 कट्टे भरकर निपानिया वाले रमेशचन्द गौतम की दुकान (गल्ले की) पर बेचने हेतु लाया था। नायब तहसीलदार ने उपरोक्त तथ्यों को उनके पर्चा मौका में उल्लेख किया है। ड्राईवर के अलग से बयान भी लिये गये, जिसमें उसने उक्त बातें दोहराई। ड्राईवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:53 IST
Reason: SelfAttested

... बयान के बाद श्री हरिओम गौड़ का बयान कलमबद्ध किया गया जिसमें उन्होने बताया कि आज सुबह 10.30 के करीब उपरोक्त गाड़ी राशन डीलर देवराज जाटव के गोदाम के बाहर खड़ी थी, और तीन चार हम्मालों ने उक्त गाड़ी में 25–26 कट्टे (राशन गेंहू) का लदान कर उक्त गाड़ी को रवाना किया। गाड़ी का पीछा करने पर वह गाड़ी निपानिया वाले गल्ला व्यापारी रमेशचन्द गौतम की दुकान के बाहर खड़ी मिली जहां कांटे पर पिकअप गाड़ी से उतारकर गेंहू को तौला जा रहा था। उन्होने दूरभाष पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पत्रकारों को इसकी सूचना दी। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचकर उसे (पिकअप गाड़ी, गेंहू से भरे कट्टे, कांटा, 20–20 किलो के दो एवं 10 किलो का एक बाट) सुरक्षा एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना छबड़ा ले आये। छबड़ा शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि रमेशचन्द गौतम द्वारा अवैध रूप से सरकारी गेंहू की खरीद की जाती है। उपरोक्त तथ्यों से श्री देवराज जाटव, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 6 छबड़ा, प्राधिकार पत्र संख्या 15/12 द्वारा राशन के गेंहू की कालाबाजारी का कृत्य कर 3/7 के तहत दंडनीय अपराध किया है, वहीं दूसरी ओर गल्ला व्यापारी, पिकअप मालिक, ड्राईवर द्वारा कालाबाजारी के कृत्य में सहयोग कर 3/8 के तहत दंडनीय अपराध किया गया है। अतः वजह सबूत नायब तहसीलदार छबड़ा श्री रामकल्याण यादवेन्द्र के कब्जे से पिकअप गाड़ी एम. पी. 20 जी.ए. 7029 मय 26 कट्टे गेंहू वनज 15.80 क्विंटल , 1 कांटा 20–20 किलो के दो बांट, 10 किलो का एक बांट जब्त सरकार किया जाकर पिकअप गाड़ी नंबर एम.पी. 20 जी.ए. 7029 को थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा को एवं 26 कट्टे गेंहू वतन 15.80 क्विंटल, 20–20 किलो के दो बांट, 10 किलो का एक बांट वार्ड नंबर 4 छबड़ा के उचित मूल्य दुकानदार श्री प्रमोद कुमार शर्मा आत्मज रामदयाल शर्मा छबड़ा को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि आरोपियों द्वारा राशन कार्ड के गेंहू की कालाबाजारी का कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पिकअप गाड़ी नंबर एम.पी. 20 जी.ए. 7029, 26 कट्टे गेंहू वनज 15.80 क्विंटल मय बारदाने, 20–20 किलो के दो बांट, 10 किलो का एक बांट को राजसात करने का आदेश फरमावें।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी कम ने दिनांक 01..07.2014 को जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि इस्तगासे में अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध लगाये गये आरोप अस्वीकार हैं क्योंकि शिकायतकर्ता हरिओम गौड़ पुत्र शिवप्रसाद गौड़ ने एस.डी.ओ. महोदय छबड़ा को लिखकर दिया है कि मैं देवराज जाटव के विरूद्ध की गयी शिकायत को वापस लेता हूं, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अतः अप्रार्थी ... को निरस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। अतः उक्त कार्य... अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:53 IST
Reason: SelfAttested

3– अप्रार्थी कम 2 व अप्रार्थी कम 3 व 4 ने जवाब पेश नहीं किया। हमने बहस हेतु प्रकरण नियत किया।

4– दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी कम 1 ने Not Press अंकित कर प्रकरण मैं पैरवी करने से इन्कार किया। अप्रार्थी कम 2 व अप्रार्थी कम 3 व 4 के अभिभाषकगण भी दौराने

बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण भी बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुए। इस पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

5— बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जब्तशुदा गेंहू 26 कट्टे गेंहू वजनी 15.80 क्विंटल मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा गेहूँ वजनी 15.80 क्विंटल मय बारदाना, एक कांटा 20—20 किलो के दो बांट एवं 10 किलो का एक बांट को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

6— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, छबड़ा द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना छबड़ा पर पहुंचकर जांच की जिसमें नायब तहसीलदार, छबड़ा द्वारा अप्रार्थी राशन डीलर देवराज जाटव, उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं. 6 छबड़ा द्वारा राशन का गेंहू अप्रार्थी क्रम 2 रमेशचन्द की गल्ले की दुकान पर विक्रय किया जा रहा था। जिसे पिकअप गाड़ी नंबर एम.पी. 20 जी.ए. 7029 में रखे 26 कट्टे गेंहू वजनी 15.80 क्विंटल मय बारदाना भरकर लाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त किया गया गेंहू 26 कट्टे वजनी 15.80 क्विंटल मय बारदाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेंहू है। जिस पर प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेंहू 26 कट्टे वजनी 15.80 क्विंटल मय बारदाना, एक कांटा, 20—20 किलो के दो बांट एवं 10 किलो के एक बांट को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 26 कट्टे वजनी 15.80 क्विंटल मय बारदाना, एक कांटा, 20—20 किलो के दो बांट एवं 10 किलो के एक बांट को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, एवं एक कांटा, 20—20 किलो के दो बांट एवं 10 किलो के एक बांट का विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)